भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2437

सोमवार, 01 अगस्त, 2022 / 10 श्रावण, 1944 (शक)

बाल श्रम

2437. सुश्री मिमी चक्रवर्ती:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि तक खतरनाक और गैर-खतरनाक व्यवसायों में लगे बच्चों/किशोरों की संख्या के संबंध में प्रारंभिक सर्वेक्षण करने वाले जिलों का ब्यौरा कया है; और

(ख) बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास के तहत प्रारंभिक पुनर्वास के लिए जारी की गई नकद राशि प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का आयु/लिंग-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(श्री रामेश्वर तेली)

(क): श्रम और रोजगार मंत्रालय, जिला मैजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में जिला परियोजना सोसाइटियों (डीपीएस) के माध्यम से बाल मजदूरों के पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का लागू कर रहा है, जिसे अब स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग की समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) योजना में शामिल कर दिया गया है। एनसीएलपी योजना के तहत, डीपीएस के अनुरोध पर, बाल/किशोर मजदूर की पहचान करने के लिए सर्वेक्षण के आयोजन के लिए उन्हें अनुदान जारी किया गया। वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान श्रम और रोजागार मंत्रालय ने 50 डीपीएस को निधि जारी की है। राज्यवार, जिलावार ब्यौरा अनुबंध पर संलग्न है।

एनसीएलपी योजना के दिशानिर्देश अनुसार, एसएसए के तहत आयोजित सर्वेक्षणों का उपयोग एनसीएलपी योजना के तहत भी किया जा सकता है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत देश के प्रत्येक जिले में "स्कूल न जाने वाले बच्चों" की संख्या की पहचान करने के लिए जिसमें बाल मजदूर/किशोर को भी शामिल है पर वार्षिक आधार पर सर्वेक्षण किया जाता है।

(ख): पहचान किए गए और छुडाए गए बंधुआ मजदूर के पुनर्वास कार्य में राज्य सरकारों को सहयोग देने के लिए, श्रम और रोजगार मंत्रालय बंधुआ मजदूर पुनर्वास योजना लागू कर रहा है। इस योजना के तहत, वर्ष 2021-22 के दौरान, 1606 व्यक्तियों जिनमें से 764 पुरुष, 566 महिलाएं और 276 बच्चे थे, के संबंध में संबंधित राज्य सरकारों को वित्तीय सहायता जारी की गई थी।

* ******

अनुबंध

'बाल श्रम' के संबंध में सुश्री मिमी चक्रवर्ती द्वारा पूछे गए दिनांक 01.08.2022 को उत्तर के लिए नियत लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 2437 के भाग (क) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध।

एनसीएलपी योजना के तहत सर्वेक्षण आयोजित करने के लिए जारी की गई राशि का राज्यवार, जिला-वार ब्यौरा

वर्ष 2019-20:

क्रम संख्या	राज्य	जिला
1	असम	कामरूप मेट्रो
2		नलबाड़ी
3	गुजरात	सूरत
4		वडोदरा
5	कर्नाटक	रायचुर
6	मध्य प्रदेश	बड़वानी
7		जबलपुर
8		मन्दसौर
9		रेवा
10	महाराष्ट्र	गोंदिया
11		जलगांव
12		जलना
13	नागालैंड	दीमापुर
14	ओडिशा	झारसुगुडा
15		सुंदरगढ़
16	पंजाब	अमृतसर
17		जालंधर
18	उत्तर प्रदेश	अलीगढ़
19		कुशी नगर
20		लखनऊ
21		लखीमपुर खिरी
22		मिर्जापुर
23	पश्चिम बंगाल	अलीपुरद्वार
24		बर्दवान
25		बीरभूम
26		दिनाजपुर दक्षिण
27		कोलकाता
28		मालदाही
29		मेदिनीपुर पूर्व
30		पुरुलिया
31	उत्तर प्रदेश	कानपुर नगर
32		बलिया
33		हापुड़
34	उत्तराखंड	हरिद्वार
35		रुद्रप्रयाग
36		चमोली
37		बागेश्वर
38		पौड़ी गढ़वाल

वर्ष **2020-21:**

क्रम संख्या	राज्य	जिला
1	गुजरात	भुज कच्छ
2	कर्नाटक	बल्लारी
3		बेंगलुरु ग्रामीण
4	मध्य प्रदेश	कटनी
5	महाराष्ट्र	धुले
6	महाराष्ट्र	सोलापुर
7	ओडिशा	देवगढ़
8	उत्तर प्रदेश	बाराबंकी
9		फिरोजाबाद
10		रायबरेली
11	पश्चिम बंगाल	दार्जिलिंग
12		दिनाजपुर उत्तर

*****